4053
17/05/16

झारखण्ड सरकार
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(संसदीय कार्य) के संकल्प सं0—259 दिनांक— 02.03.2016 द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति माननीय मंत्री, श्री सरयु राय की अध्यक्षता में गठित की गई थी जिसमें निम्नलिखत सदस्य थेः—

1	श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0	सदस्य
2	श्री स्टीफन मरांडी, स0वि0स0	सदस्य
3.	श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0	सदस्य
4	श्री राधा कृष्ण किशोर, स0वि0स0	सदस्य
5	श्री राज किशोर महतो, स0वि0स0	सदस्य

1.1 इस क्रम में उच्च स्तरीय समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक—09.03.2016, 10. 03.2016, 14.03.2016 एवं 15.03.2016 को आहुत की गई, जिसमें माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम, श्री स्टीफन मरांडी एवं श्री प्रदीप यादव प्रथम दो बैठकों में ही सम्मिलित हुए तथा अन्य सभी सदस्यों द्वारा सभी बैठकों में भाग लिये।

1.2 उच्च स्तरीय समिति द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली पर विस्तृत एवं गहन विमर्शोपरान्त दिनांक—31.03.2016 को प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया गया।

2. उच्च स्तरीय समिति द्वारा समर्पित अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली हेतु संकल्प सं0—3143 दिनांक—13.04.2016 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रणाली हेतु अधिसूचना सं0—3200, 3201 एवं 3199 दिनांक— 18.04.2016 द्वारा क्रमशः मैट्रिक स्तर, स्नातक स्तर एवं इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया जिसमें निम्न प्रकार निर्णय लिया गया :—

2.1 **झारखण्ड लोक सेवा आयोग के संबंध में लिया गया निर्णय :—**

(i) प्रारम्भिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुणा होगा।

(ii) प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पत्र(प्रथम पत्र) में भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाऐं इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएगा।

(iii) प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंक का सामान्य अध्ययन का द्वितीय पत्र सम्मिलित किया गया है जिसमें झारखण्ड से संबंधित प्रश्न रहेंगे।

(iv) मुख्य परीक्षा के द्वितीय पत्र भाषा एवं साहित्य— क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा सहित विषय की **परीक्षा के अंक 100 से बढ़ाकर 150 किया गया है।**

(v) मुख्य परीक्षा का तृतीय पत्र सामाजिक विज्ञान में झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान विषयक 40 प्रतिशत अंकों के प्रश्न पूछे जायेंगे।